



राजस्थान आवासन मण्डल

RAJASTHAN HOUSING BOARD

(A State Government Enterprise constituted under RHB Act 1970)

अतिरिक्त मुख्य अभियंता-प्रथम

ADDL. CHIEF ENGINEER-I,

No. ACE-I/RHB/JPR/2023-24/ 335

Date :- 13/07/2023

निरस्तीकरण सूचना

इस कार्यालय द्वारा जारी निविदा सूचना संख्या 04/2023-24 दिनांक 24.05.2023 के मद संख्या 9 " Plantation work in Coaching Hub, Sector 16, Pratap Nagar, Jaipur" की बिड अपरिहार्य कारण से निरस्त किया जाता है।

sd -
अतिरिक्त मुख्य अभियंता-प्रथम,
राजस्थान आवासन मण्डल,
जयपुर।

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. तकनीकी सहायक-आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियंता-प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, कम्प्यूटर, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. आवासीय अभियंता, ई-प्रोक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को भेजकर लेख है कि निविदा निरस्त करने का श्रम करें।
5. आवासीय अभियंता, खण्ड-कोचिंग हब, राजस्थान आवासन मण्डल।
6. परियोजना अभियंता (वरिष्ठ)-अतिरिक्त मुख्य अभियंता-प्रथम, रा0आ0म0, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त मुख्य अभियंता-प्रथम